संख्या शिक्षा–कांगड़ाई0डी0एन–के0जी0आर0(जी0–1)2019–4730
कार्यालय उप निदेशक प्रारभिक शिक्षा,
कांगडा स्थित धर्मशाला ।
दिनांक धर्मशाला–176215 26–08–2019

सेवा में

समस्त खण्ड प्रारभिंक शिक्षा अधिकारी,
जिला कांगडा ।

विषय... खेल कूद प्रतियोगिताओं प्राईमरी स्तर वर्ष 2019–20 के आयोजन बारे ।

ज्ञापन,

दिनांक 19/8/2019 को जिला प्राथमिक सतर की खेल कूद कार्यकारणी की बैठक श्री राज कुमार शर्मा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कांगडा स्थित धर्मशाला की अध्य क्षता में सम्पन हुई, जिसमें अन्य मुदों के साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं प्राईमरी स्तर वर्ष 2019–20 के आयोजन बारे भी चर्चा उपरांत खेलों की तिथियां स्थानों के निर्धारण भी किया गया जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

1	केन्द्र स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता	स्थान चयन केन्द्र स्तर पर होगा	केन्द्र स्तर पर
2	जोन स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं	स्थानों का चयन शिक्षा खण्डों द्वारा किया जाएगा ।	खण्ड स्तर पर
3	खण्ड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं	स्थानों का चयन शिक्षा खण्डों द्वारा किया जाएगा ।	09/09/2019 से 11/09/2019
4	उप मण्डल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं	स्थानों का चयन शिक्षा खण्डों द्वारा किया जाएगा जिसकी सूचना इस कार्यालय को भेज दे ।	20–09–2019
5	जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं लडके व लडकियां।	रा0व0मा0पा0 जैसिंहपुर / केन्द्रीय पाठशाला जैसिंहपुर ब्लोक लम्वांगाव	23/09/2019 से 26/09/2019
6	कोचिंग कैंप	रा0प्रा0पा0------------	01/10/2019 से 05/10/2019

जिला प्राथमिक कीडा संघ

1- अध्यक्ष उप निदेशक प्रारभिक शिक्षा कांगड़ा श्री राज कुमार शर्मा।
2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष बी0ई0ई0ओ0 लम्वांगाव श्री राकेश कटोच श्री सुरिन्द्र राणा ।
3. उपाध्यक्ष जिला प्रधान (पी0टी0एफ0) श्री संजय पी0सी0
4. महा सचिव श्री राजिन्दर कुमार सी0एच0टी0 जी0पी0एस0 डाडासीवा ।
5- कोषाअध्यक्ष श्री स्वरुप चन्द वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक प्रार0 ।
6- संयुक्त सचिव श्री सुनील धिमान जी0पी0एस0 व्लोक नगरोटा–सूरियां
7- लेखाकार श्री वलवीर सिंह प्रधान (पी0टी0एफ0) फतेहपुर ।
8- लेखाकार श्री कमलजीत प्रधान (पी0टी0एफ0) कांगडा
9. सदस्य श्री ओम प्रकास मिनास कांगडा ।
10. स्टोर कीपर भान सिंह मुख्याध्यापक चिल्ला लम्वागांव ।
11. स्टोर कीपर रजिन्द्रर पैट रा0पा0पा0 वलोटा भवारना ।
12. सदस्य समस्त खण्ड प्रारभिंक शिक्षा अधिकारी,जिला कांगडा ।
13. सदस्य समस्त खण्ड प्रधान (पी0टी0एफ0)जिला कांगडा ।
14. सदस्य समस्त खण्ड महा सचिव(पी0टी0एफ0)जिला कांगडा ।

<u>खेल कूद प्रतियोगिताओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश</u>

1. बैठक में उपनिदेशक महोदय द्वारा यह आदेश दिये गये कि खेलों के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिये अध्यापक सवयं जिम्मेवार होंगे।
2. मार्चपास में कम से कम 33 खिलाडियों का होना निश्चित है जो कि वर्दियों में होने चाहिए। प्रत्येक दल अपने साथ एक बैनर झण्डा व नेम प्लेट सहित भाग लेगा। अनुशासन के प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी स्वयं जागरुक रहेंगे। छात्राओं के साथ महिला अध्यापक का आना जरुरी है। महिला अध्यापकाएं छात्राओं के साथ रात को भी ठहरेंगी ।
3. प्रतिभागी अपने साथ दरी बिस्तर कप प्लेट गिलास चम्मच व दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे साबुन तेल कंघा अपने साथ लाएंगे । मेडिकल किट भी साथ होना जरुरी है ।

4. प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिनियुक्त अध्यापक/अध्यापिकायें अनुशासन में रहें। प्रत्येक खण्ड से छात्राओं के साथ 5 महिला अध्यापकों को जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त किया जाये।

5. खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान अगर कोई प्रोटैस्ट हो जाता है तो खेल कूद निर्णायक कमेटी के पास 1000 रूपये जमा करवाने होंगे।

6. विभाग के पूर्वानुदेश के अनुसार निजी पाठशालाओं से भाग ले रहे प्रति छात्र प्रतिदिन 60/- रू0 की दर से खण्ड में जमा किये जायेंगे। और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में जितने निजी पाठशालओं के प्रतिभागी छात्रों को चयन होता है उनमें 60रू0 प्रतिदिन की दर से जिला में प्रवेश लेती बार जमा किया जायेगा। जिला स्तरीय हिस्सा व स्पोर्टस फण्ड उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में ड्राफट द्वारा जमा करवाएगे ।

7. डयूटी पर तैनात प्रत्येक अध्यापक को खाने के लिए मेसिंग चार्ज कुल 300 रूपये खेलों में प्रवेश लेते समय कमेटी के पास जमा करवाने होंगे ।

8. खेल कूद प्रतियोगिताओं के शुरू होने से पूर्व गत वर्ष की शिल्ड खेलकूद निर्णायक कमेटी के पास जमा करवानी होगी अन्यथा ऐसा न करने पर वह खेल कूद प्रतियोगिता से बंचित रह जाएंगे ।

9. खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र -छात्राओं की आयु 12 वर्ष से अधिक न हो दिनांक 01-01-2008 को जन्में या इसके बाद के जन्मे वच्चे पात्र है उनका भार 34 कि0ग्रा0 व ऊंचाई 146 सै0मी0 होनी चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों पर भी यही नियम लागू होगा ।

10. खेल कूद प्रतियोगिताओं (1)वालीवाल (2)खो-खो (3)कबडडी (4)बैडमैंटन दोनों वर्गो के लिए एक प्रतियोगी एक मेजर व दो लघु खेलों में भाग ले सकता है । प्रत्येक खण्ड से प्रतिनियुक्त अध्यापकों की सूची सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियो द्वारा जारी की गई हो तथा हर खण्ड से प्रतिनियुक्त अध्यापक / अध्यापिकों की संख्या दस से अधिक न हो ।

11. जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों की सूची फोटो तथा पात्रता फार्म खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाएंगे। सभी सूचियां दिनांक 22-09-2019 शाम तक कमेटी के पास पहुंच जानी चाहिए।

12. राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं के लिए चयनित खिलाडियों का कैम्प लगाया जाएगा जिसका स्थान एवं निधार्रित तिथि बाद में बता दी जाएगी।

13. समस्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें, निजि विद्यालयों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वही नियम व शर्तें लागू रहेंगी जो सरकारी विद्यालयों के लिए हैं।

14. जो अध्यापक/अध्यापिकायें छात्र छात्राओं के साथ आने में मनाही करते हैं वे जिला को लिखित तौर पर अपना कारण सपष्ट करेंगे।

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय के निर्देश अनुसार राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता प्राइमरी स्तर 2019-20 का ब्योरा निम्नलिखित है ।

कम	प्रतियोगिता का नाम	खेल का नाम	खिलाडियों की संख्या
1	छात्र/छात्रायें	(1)वालीवाल छात्र 8 छात्रा 8 कुल-16 (2)खो-खो छात्र 10 छात्रा 10कुल-20 (3)कबडडी छात्र 9 छात्रा 9 कुल-18 (4)बैडमैंटन छात्र 3 छात्रा 3 कुल-6	38 लडके व 38 लडकियां 01-01-08 को जन्मे या इसके बाद के जन्मे हो
2	एथलैटिक छात्र/छात्रायें	50/100/200मी0 क्रास एन्ट्री.1500मी0हाईजम्प व शाटपुट लाग जम्म	08 लडके व 08 लडकियां 16
3	सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र/छात्रायें	ग्रुप सोंग/वोक्ल शोलो/वन एक्ट प्ले/डैक्लामे कन्टैक्सट फोल्क डांस	14 लडके व लडकियां

कल्चरर आईटम्स पात्रताः-(01-01-2008 को जन्मे या इसके बाद के जन्मे वच्चे)
जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताः 23/09/2019 03:00 बजे : वन एक्ट प्ले 15-20 मिनट अधिकतर दस बच्चे 06:00 बजे : वोकल सोंग 3-5 मिनट अधिकतर तीन बच्चे 06:30 बजे : ग्रुप सोंग 5-7 मिनट अधिकतर 12 बच्चे : 24/09/2019 02:00 बजे : डैक्लामेंशन कन्टैक्सट 5-7 मिनट एक लडका या लडकी 06:00 बजे : फोल्क डांस 12-15 मिनट 18 बच्चे अधिकतम ।

भाषण प्रतियोगिता के विषय :-

1. विधार्थी जीवन : कर्त्तव्य और अधिकार ।
2. लोकतन्त्र में चुनाव का महत्त्व।
3. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
4. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका।
5. नशे से युवा पीढ़ी के जीवन में दुष्प्रभाव।

हि0प्र0 शिक्षा निदेशालय से प्राप्त दिशा निर्देश

1. खण्डों व जिलों द्वारा आयोजित कोचिंग कैंप 03 दिनों तक होगा ।
2. राज्य/जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता हेतु जिले/खण्डों से आए अध्यापकों की संख्या अधिकतम 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
3. बैडमिन्टन के लिए कक्षा 01 से 05 तक एक जैसा प्रतिरुप होगा ।
4. अन्य खेलो व सांस्कृतिक कार्यकमों के नियम व समय पूर्व वर्ष की भान्ति ही रहेगा।

नोट :- प्रशासनिक कारणों से जिला स्तरीय प्रतियोगिता के स्थान व तिथि में परिवर्तन सम्भाविक है ।

टिप्पणी :- जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के लिए सामान क्रय कमेटी को छोडकर अन्य सभी कमेटियों का गठन खण्ड प्रा0 शिक्षा अधिकारी लम्वागांव, खेल कूद प्रतियोगिता का जिला इंचार्ज स्वयं खेल कूद वैन्यु पर कर लें ।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
कांगडा स्थित धर्मशाला ।

पृष्ठांकन सं0 शिक्षा -कांगडा (जी.1) प्रा0 खेल कूद दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि0प्र0 शिमला-।
2. उपायुक्त जिला कांगड़ा।
3. पुलिस अधीक्षक, कांगडा स्थित धर्मशाला ।
4. जिला लोक संम्पर्क अधिकारी जिला कांगडा ।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक हि0 पथ परिवहन निगम धर्मशाला ।
6. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला कांगडा ।
7. जिला प्रधान (पी0टी0एफ0) श्री संजय पी0सी0
8. कार्यालय रिकार्ड ।
9. The Incharge, IT Cell, DDEE Kangra at Dharamshala for information & with the request to Upload above in office web site.

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
कांगडा स्थित धर्मशाला ।